

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 52
मंत्रिमंडल

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	302.79	302.79	...	326.28	326.28	...	378.12	378.12	
पूंजी	...	80.00	80.00	...	76.24	76.24	...	80.05	80.05	
जोड़	...	382.79	382.79	...	402.52	402.52	...	458.17	458.17	
मंत्रिपरिषद										
1. वेतन	2013	...	1.93	1.93	...	1.93	1.93	...	1.93	1.93
2. यात्रा व्यय	2013	...	160.76	160.76	...	160.73	160.73	...	160.76	160.76
3. सत्कार संबंधी तथा अन्य भत्ते	2013	...	4.92	4.92	...	4.92	4.92	...	4.92	4.92
4. मंत्रिमंडल सचिवालय	2013	...	12.54	12.54	...	19.86	19.86	...	22.49	22.49
5. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	2013	...	9.77	9.77	...	10.68	10.68	...	13.90	13.90
6. मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय	2013	...	2.15	2.15	...	3.06	3.06	...	2.61	2.61
7. प्रधान मंत्री का कार्यालय	2013	...	18.04	18.04	...	22.58	22.58	...	23.39	23.39
जोड़-मंत्रिपरिषद	210.11	210.11	...	223.76	223.76	...	230.00	230.00
पुलिस										
8. विशेष सुरक्षा समूह	2055	...	90.79	90.79	...	100.32	100.32	...	146.12	146.12
	4055	...	80.00	80.00	...	76.24	76.24	...	80.05	80.05
जोड़-विशेष सुरक्षा समूह	170.79	170.79	...	176.56	176.56	...	226.17	226.17
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
9. आतिथ्य एवं मनोरंजन व्यय	2070	...	1.89	1.89	...	2.20	2.20	...	2.00	2.00
कुल जोड़	382.79	382.79	...	402.52	402.52	...	458.17	458.17

1. इसमें केबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वेतन के लिए प्रावधान शामिल हैं।

2. यह प्रावधान केबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा पूर्व प्रधान मंत्रियों की यात्रा संबंधी व्यय के लिए है।

3. इसमें केबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों का सत्कार भत्ता तथा अन्य भत्ते शामिल हैं।

4. यह प्रावधान मंत्रिमंडल सचिवालय के वेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय एवं स्थापना से संबंधित अन्य व्यय के लिए है।

5. यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के वेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय और स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

6. यह प्रावधान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के वेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय और स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

7. यह प्रावधान प्रधान मंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के वेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय तथा स्थापना से संबंधित अन्य व्यय के लिए है।

8. इसमें विशेष सुरक्षा ग्रुप जो भारत के प्रधान मंत्री, पूर्व प्रधान मंत्रियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को कड़ी सुरक्षा प्रदान करता है, के लिए प्रावधान शामिल है।

9. इसमें सरकारी आतिथ्य और विदेशी सरकारी मेहमानों के मनोरंजन; उप-राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित सरकारी स्वागत-सत्कार; राष्ट्रीय दिवसों पर, सम्मान एवं प्रत्यय-पत्र की प्रस्तुति आदि अवसरों पर स्वागत-सत्कार संबंधी व्यय शामिल है।